भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2244
दिनांक 12.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

2244. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बैंक सेवा क्षेत्र के आधार पर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आवेदनों को अस्वीकृत कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संख्या को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत कुछ उद्यमों को दी जाने वाली सरकारी राजसहायता पर ब्याज लगाया गया था और यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के प्रति जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला उद्यमियों और युवा व्यक्तियों की संख्या में काफी गिरावट आई है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की संख्या कितनी है तथा विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में उनके योगदान का क्षेत्र-वार विवरण क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) मांग आधारित स्कीम है और परियोजनाओं की अंतिम अस्वीकृति या मंजूरी या ऋण जारी करना संबंधित वित्तपोषण बैंकों के स्तर पर किया जाता है जो परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं तथा प्रत्येक परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अपना ऋण निर्णय लेते हैं। पोर्टल पर बैंकों द्वारा "सेवा क्षेत्र से बाहर" और "लक्ष्य प्राप्त" के आधार पर आवेदनों को अस्वीकार करने का विकल्प हटा दिया गया है। बैंकों द्वारा पीएमईजीपी आवेदनों को अस्वीकार करने की दर वित्त वर्ष 2019-20 में 63 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 46 प्रतिशत रह गई है।

(ख): पीएमईजीपी दिशानिर्देशों के अनुसार, सावधि जमा रसीद/सब्सिडी रिजर्व फंड (टीडीआर/एसआरएफ) पर कोई ब्याज देय नहीं है, और सरकार से प्राप्त मार्जिन मनी सब्सिडी में से टीडीआर/एसआरएफ के रूप में रखी गई राशि के अनुरूप ऋण के हिस्से पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय ने सभी प्रमुख बैंकों को इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को पीएमईजीपी पोर्टल पर संशोधित ब्याज दर तथा टीडीआर/एसआरएफ विवरण अपडेट करना अनिवार्य है।

(ग): पीएमईजीपी में महिलाओं और युवाओं सहित संभावित लाभार्थियों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।

ii. उच्च सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।

iii. पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना।

iv. हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से भौतिक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।

v. सभी श्रेणी के लाभार्थियों में पीएमईजीपी को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और वीडियो क्लिप का प्रसार करना।

vi. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन करना।

vii. विभिन्न उद्योगों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

(घ): पिछले चार वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, लगभग 3.37 लाख सूक्ष्म उद्यमों को पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र के तहत कुल इकाइयों में से लगभग 49% अर्थात लगभग 1.65 लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-I में है।

****

अनुलग्नक- I

दिनांक 12.02.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2244 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले चार वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या
1	अंडमान निकोबार	479
2	आंध्र प्रदेश	14376
3	अरुणाचल प्रदेश	679
4	असम	12038
5	बिहार	18808
6	चंडीगढ़	51
7	छत्तीसगढ़	9795
8	दिल्ली	248
9	गोवा	260
10	गुजरात*	11997
11	हरियाणा	5471
12	हिमाचल प्रदेश	3974
13	जम्मू कश्मीर	58599
14	झारखंड	7118
15	कर्नाटक	19006
16	केरल	11567
17	लद्दाख	643
18	लक्षद्वीप	9
19	मध्य प्रदेश	21957
20	महाराष्ट्र**	12376
21	मणिपुर	2640
22	मेघालय	2399
23	मिजोरम	1947
24	नागालैंड	3489
25	ओडिशा	13023
26	पुदुचेरी	159
27	पंजाब	5793
28	राजस्थान	7230
29	सिक्किम	590
30	तमिलनाडु	22875
31	तेलंगाना	9799
32	त्रिपुरा	2979
33	उत्तर प्रदेश	41402
34	उत्तराखंड	5727
35	पश्चिम बंगाल	7709
	योग	337212

दमण एवं दीव सहित*   * दादरा और नगर हवेली सहित*